कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 960 / 2020 / 10–11 / 2072 भोपाल, दिनांक 14/6/22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– उमरिया जिले में करनपुरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.841 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 0.992 हेक्टेयर) वन भूमि मध्यप्रदेश जल निमग मर्यादित, शहडोल को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB024/2021-BHO/264 दिनांक 26.03.2021

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

विशिष्ट शर्ते

1– शर्त क्रमांक 1 एवं 2 के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2– शर्त क्रमांक 3 के पालन में प्रकरण में तैयार 5.00 हेक्टेयर RDF क्षेत्र पर वृक्षारोपण का कार्य शर्त में दिए गए निर्देशानुसार किया जावेगा।

3– शर्त क्रमांक (4) के पालन में ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 48816 है।

4– शर्त क्रमांक 5 एवं 6 के पालन में आवेदक संस्थान ने वर्तमान मजदूरी दर से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की कुल लागत राशि रू0 35,24,700 / –यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दि0 01.06.2021 को जमा की जा चुकी है।

5– शर्त क्रमांक 7(a) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रू0 6,75,323 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 01.06.2021को जमा की जा चुकी है।

6– शर्त क्रमांक 7(b)के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

7– शर्त क्रमांक 8 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षों के विदोहन की राशि वन मण्डल कार्यालय में जमा की जा चुकी है।

–2–

8– शर्त क्रमांक 9 के पालन में प्रकरण में 0.841 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। इस 0.841 हेक्टेयर वनभूमि में से 0.229 हेक्टेयर वनभूमि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आती है। आवेदक संस्थान द्वारा 0.229 हेक्टेयर वनभूमि की वन्यप्राणी अनुमति हेतु पृथक से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका आवेदन क्रमांक / FP/MP/water/6256/2022 है। प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति इस शर्त पर जारी किये जाने का अनुरोध है कि वन्यप्राणी अनुमति मिलने के पश्चात ही 0.229 हेक्टेयर में कार्य करने दिया जावेगा।

9– शर्त क्रमांक 10 के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, उमरिया का प्रमाण पत्र दिनांक 02.03.2021 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

10– शर्त क्रमांक 11 के पालन में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 01.06.2021 को जमा की जा चुकी है।

11– विशिष्ट शर्त क्रमांक 12 एवं 13 के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

सामान्य शर्तें

1– सामान्य शर्त क्रमांक 1 से 16 तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2– सामान्य शर्त क्रमांक 17 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में उपरोक्त उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

14/6/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 960 / 2020 / 10–11 / 2073 भोपाल, दिनांक 14/6/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उमरिया, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, शहडोल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14/6/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

FORM-I

(for linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector

*****

No...... 717 Dated 02.3.21

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.841 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of M.P. Jal Nigam Maryadit (name of user agency) for laying of water supply pipeline (purpose for diversion of forest land) in Umaria district (as per list enclosed in Annexure 1) falls within jurisdiction of various village(s) in block Karkeli.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.841 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure N.A. to N.A. annexure... N.A.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Signature

कलेक्टर

जिला उमरिया (म.प्र.)